[2018] 10 एससीआर 649

शिवराज

बनाम

राजेंद्र एंव अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 8278-8279) 05 सितंबर, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और एएम खानविलकर, जे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 166 - मुआवजा - अपीलकर्ता एक ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था जब ट्रैक्टर के चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर को एक बड़े मिट्टी के पत्थर से टकरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं - धारा 166 के तहत दावा याचिका - ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपीलकर्ता का दावा बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किया गया था और 9,02,324 रुपये का मुआवजा सम्मिलत दायित्व के अधीन दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रैक्टर में यात्रा करने वाले अपीलकर्ता दारा बीमा पॉलिसी का उल्लंघन किया गया था और बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया - अपील पर, उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता के पक्ष में सही पाया कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर में एक यात्री के रूप में यात्रा की जो पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन था। चूंकि ट्रैक्टर का बीमा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था , न कि सामान ले जाने के लिए - अपीलकर्ता ने एक यात्री के रूप में ट्रैक्टर में यात्रा की, भले ही ट्रैक्टर केवल एक व्यक्ति अर्थात् चालक को समायोजित कर सकता था - परिणामस्वरूप, बीमाकर्ता अपीलकर्ता को हुए नुकसान या चोटों के लिए उत्तरदायी नहीं था और ट्रैक्टर के मालिक को क्षतिपूर्ति नहीं करता था - हालांकि, विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता ने ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को ट्रैक्टर मालिक से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता दी। अपीलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा: 1. उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) के पक्ष में सही पाया कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर में एक यात्री के रूप में यात्रा की जो नीति की शर्त का उल्लंघन था, क्योंकि ट्रैक्टर का बीमा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था, न कि सामान ले जाने के लिए। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। स्पष्ट कर दें कि न तो ट्रेलर का बीमा किया गया था और न ही ट्रैक्टर से कोई ट्रेलर अटैच किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने एक यात्री के रूप में ट्रैक्टर में यात्रा की, भले ही ट्रैक्टर केवल एक व्यक्ति अर्थात् चालक को समायोजित कर सकता था। नतीजतन, प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) अपीलकर्ता को हुए नुकसान या चोटों के लिए या

ट्रैक्टर के मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष इस मामले की तथ्य स्थिति में अपवाद नहीं है। हालांकि, इस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय द्वारा इस संबंध में लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण को देखते हुए उच्च न्यायालय को बीमा कंपनी को निर्देश देना चाहिए था कि वह दावेदार (अपीलकर्ता) को मुआवजे की राशि का भुगतान ट्रैक्टर मालिक से वसूलने की स्वतंत्रता के साथ करे,। [पैरा 9 और 10] [654-ए-डी] नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य। (2004) 3 एससीसी 297: [2004] 1 एससीआर 180; मंगला राम वाई । ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2018) 5 एससीसी 656; रानी और अन्य। v. नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2018 (9) स्केल 310; मनुआरा खातून व अन्य वी. राजेश कुमार सिंह व अन्य। (2017) 4 एससीसी 796 - संदर्भित।

2. जहां तक ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजे की राशि के निर्धारण का संबंध है और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, ट्रिब्यूनल ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा था और विभिन्न मदों के लिए उचित और उचित मुआवजा राशि प्रदान की थी जैसा कि अनुमन्य है। इसलिए, उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के उक्त निष्कर्ष को परेशान नहीं करने के लिए उचित था। उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि की गई। [पैरा 11] [654-एफ-जी] केस लॉ रेफरेंस [2004] 1 एससीआर 180 पैरा 10 (2018) 5 एससीसी 656 को पैरा 10 2018 (9) स्केल 310 को संदर्भित पैरा 10 (2017) 4 एससीसी 796 को पैरा 10 सिविल अपीलीय अधिकार क्षेत्र में संदर्भित किया गया: 2018 की सिविल अपील संख्या 8278-8279। शिवराज, वी. राजेंद्र और एएनआर। 2013 (एमवी) के एमएफए नंबर 7662 (एमवी) सी/डब्ल्यू एमएफए नंबर 9995 (एमवी) में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 13.08.2015 के फैसले और आदेश से। सुश्री कनिका, श्रीमती एस उषा रेड्डी, अश्विन वी.के., सुश्री रेखा चंद्र शेखर, एच. चंद्र शेखर, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए। न्यायालय का निर्णय ए. एम. खानविलकर, जे. 1 द्वारा दिया गया था। ये अपीलें कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 13 अगस्त, 2015 को बेंगलुरु में 2013 (एमवी) के एमएफए संख्या 7662 और 2013 (एमवी) के एमएफए संख्या 9995 में पारित आम फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता (घायल दावेदार) द्वारा मांगे गए मुआवजे को बढ़ाने की अपील को खारिज कर दिया।

2. संक्षेप में कहा गया है कि 23 फरवरी, 2010 को सुबह लगभग 8:30 बजे, अपीलकर्ता बैंगलोर रोड, सर्वे नंबर 266, बैंगलोर पर कुली के रूप में पंजीकरण संख्या केए-15-टी-2011 वाले ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था। ट्रैक्टर का चालक तेज गति , लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था और ट्रैक्टर को एक बड़े मिट्टी के पत्थर से टकरा दिया , जिसके

परिणामस्वरूप ट्रैक्टर पलट गया और अपीलकर्ता को गंभीर चोटें आईं। अपीलकर्ता को तुरंत उत्तर की ओर ले जाया गया हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बैंगलोर, जहां उन्होंने 23" फरवरी, 2010 से 27" फरवरी, 2010 तक एक आंतरिक रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार किया। बाद में, उन्हें 27 फरवरी, 2010 से 7 मई, 2010 तक एक रोगी के रूप में बॉरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल, बैंगलोर में स्थानांतरित कर दिया गया और 4 (चार) विभिन्न सर्जरी की गईं। अपीलकर्ता के अनुसार, सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के बावजूद, उसे दोनों निचले अंगों में 59.4%, कशेरुक, क्लेविकल और स्कैपुला की ओर 18.9% और मूत्रमार्ग की चोट के लिए 80% की सीमा तक स्थायी शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा , जो पूरे शरीर के लिए लगभग 67% है। दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र केवल 25 वर्ष थी और वह कुली के रूप में काम कर रहा था। अपनी स्थायी विकलांगता के कारण, अपीलकर्ता कुली के रूप में काम करने में असमर्थ हो गया है और इस प्रकार उसे प्रति माह 6,000 रुपये की सीमा तक उसकी आय से वंचित कर दिया गया है।

3. परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत एमवीसी संख्या 3533/2010 वाले तृतीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश , सदस्य, एमएसीटी, बैंगलोर के समक्ष एक दावा याचिका दायर की गई थी, जिसमें दुर्घटना में उसे लगी चोटों के लिए 15,00,000/- रुपये (केवल पंद्रह लाख रुपये) के मुआवजे का दावा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

4. अपीलकर्ता ने अपने दावे के समर्थन में 4 गवाहों से पूछताछ की और साक्ष्य भी पेश किए। P1 से P24. प्रतिवादी ने प्रशासनिक अधिकारी आरडब्ल्यू 1 सगयाराज से पूछताछ की और प्रदर्श पेश किया। R1 और R2. पक्षों द्वारा पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने दलीलों के आधार पर अपने द्वारा तैयार किए गए तीन मुद्दों का जवाब दिया।

5. ट्रिब्यूनल ने माना कि दावेदार तथ्यों को साबित करने में सक्षम था कि दुर्घटना 23 फरवरी, 2010 को सुबह 8:30 बजे हुई थी, जब वह ट्रैक्टर के चालक की तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण बताए गए ट्रैक्टर में जा रहा था। ट्रिब्यूनल ने माना कि अपीलकर्ता ट्रैक्टर में लोडर के रूप में यात्रा कर रहा था, न कि एक अनावश्यक यात्री के रूप में। बीमा पॉलिसी के विज्ञापन के बाद , ट्रिब्यूनल ने देखा कि उसी ने 1 + 4 के जोखिम को कवर किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रतिवादी नंबर 2 ने दोषी वाहन को बीमा पॉलिसी जारी करने और दुर्घटना की तारीख के अनुसार इसकी वैधता को स्वीकार किया। ट्रिब्यूनल ने तब अपीलकर्ता की अनुमानित आय पर कुली के रूप में 150 रुपये प्रति दिन की अनुमानित आय पर मुआवजे की राशि निर्धारित की और प्रासंगिक समय यानी 25 वर्ष पर अपीलकर्ता की आयु को ध्यान में रखते हुए , 18 के गुणक को लागू किया।

ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ता की स्थायी विकलांगता को पूरे निकाय के लिए 60% की सीमा तक निर्धारित किया और उस आधार पर, अपीलकर्ता की भविष्य की आय के नुकसान की गणना 5,83,000 रुपये (केवल पांच लाख 83 हजार रुपये) की। ट्रिब्यूनल ने वाहन के मालिक और बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से देय अपीलकर्ता को मुआवजे के रूप में दिए जाने के लिए निम्नलिखित गणना की, जिसमें याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज शामिल था। ट्रिब्यूनल द्वारा तय किए गए विभिन्न मदों में मुआवजे की राशि की गणना इस प्रकार है: मुआवजा प्रमुख मुआवजा और शुल्क शिवराज बनाम राजेंद्र और एएनआर।[ए एम खानविलकर, जे।

6. उक्त निर्णय से व्यथित महसूस करते हुए , प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) ने 2013 (एमवी) के एमएफए नंबर 7662 के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी और अपीलकर्ता ने मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए 2013 (एमवी) के एमएफए नंबर 9995 के रूप में एक अलग अपील को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने इन दोनों अपीलों को लागू सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटा दिया। उच्च न्यायालय ने मोटे तौर पर ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए अन्य सभी निष्कर्षों से सहमति व्यक्त की , लेकिन माना कि कार्यवाही के दौरान अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख और समकालीन दस्तावेजों को देखते हुए पी 2 से पी 5 तक, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अपीलकर्ता ट्रैक्टर से जुड़े ट्रेलर में यात्रा कर रहा था। हालांकि , साक्ष्य स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर में यात्रा की थी, जिसका बीमा केवल कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था , न कि सामान ले जाने के लिए। ट्रेलर के संबंध में कोई अतिरिक्त बीमा नहीं लिया गया था , बल्कि किसी भी दस्तावेज में ट्रेलर की उपस्थिति नहीं दिखाई गई है या प्रदर्शित नहीं की गई है और यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि ट्रैक्टर ट्रेलर से जुड़ा था। ट्रैक्टर में केवल एक व्यक्ति को समायोजित किया जा सकता था, अर्थात् ट्रैक्टर का चालक और कोई नहीं।

7. उस निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता ने पॉलिसी नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए ट्रैक्टर में यात्रा की और इसलिए , बीमा कंपनी को मालिक या दावेदार को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। तदनुसार, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी और बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता द्वारा दायर मुआवजे की राशि को बढ़ाने की अपील पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित राशि उचित और उचित थी और मुआवजे के सभी अनिवार्य प्रमुखों की गणना की। नतीजतन , यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता बढ़े हुए मुआवजे का हकदार नहीं था।

8. अपीलकर्ता ने इन अपीलों द्वारा उच्च न्यायालय के उक्त सामान्य निर्णय और आदेश को चुनौती दी है। हमने अपीलकर्ता के लिए सुश्री कनिका और प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) के लिए सुश्री रेखा चंद्र शेखर को सुना है। दोनों न्यायालयों ने अपीलकर्ता के मामले को स्वीकार कर लिया है कि मोटर दुर्घटना 23 फरवरी, 2010 को सुबह लगभग 8:30 बजे हुई थी जिसमें अपीलकर्ता को ट्रैक्टर के चालक के तेज और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण गंभीर चोटें आई थीं। इसके अलावा , दोनों अदालतों ने दुर्घटना में अपीलकर्ता द्वारा झेले गए पूरे शरीर के लिए 60% की स्थायी विकलांगता निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 10 एस.सी.आर.

9. हालांकि, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 2 (बीमाकर्ता) के पक्ष में पाया कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर में एक यात्री के रूप में यात्रा की थी, जो नीति की शर्त का उल्लंघन था, क्योंकि ट्रैक्टर का बीमा कृषि उद्देश्यों के लिए किया गया था , न कि सामान ले जाने के लिए। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों ने स्पष्ट रूप से बताया कि न तो किसी ट्रेलर का बीमा किया गया था और न ही ट्रैक्टर से कोई ट्रेलर जुडा हुआ था। इस प्रकार , यह माना जाएगा कि अपीलकर्ता ने ट्रैक्टर में एक यात्री के रूप में यात्रा की , भले ही ट्रैक्टर केवल एक व्यक्ति अर्थात् चालक को समायोजित कर सके। नतीजतन , बीमा कंपनी (प्रतिवादी नंबर 2) अपीलकर्ता को हुए नुकसान या चोटों के लिए या ट्रैक्टर के मालिक को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी नहीं थी। हमारी राय में उच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष वर्तमान मामले की वास्तविक स्थिति में अपवाद नहीं है।

10. हालांकि, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए , उच्च न्यायालय को बीमा कंपनी को निर्देश देना चाहिए था कि वह दावेदार (अपीलकर्ता) को ट्रैक्टर मालिक से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता के साथ मुआवजा राशि का भुगतान करे , क्योंकि इस न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्ण सिंह और अन्य मामले में इस संबंध में लगातार दृष्टिकोण अपनाया गया है। मंगला राम बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रानी एंड अन्य। बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य' और मनुआरा खातून और अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह और अन्य सहित। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत की गई अपील को आंशिक रूप से अनुमति देनी चाहिए थी। इसलिए, अपीलकर्ता प्रतिवादी नंबर 2 बीमा कंपनी को ट्रैक्टर मालिक (प्रतिवादी नंबर 1) से वसूली की स्वतंत्रता के साथ अपीलकर्ता को मुआवजे की राशि का भुगतान करने के निर्देश में राहत प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

11. ट्रिब्यूनल द्वारा मुआवजे की राशि के निर्धारण के संबंध में मुद्दे पर लौटते हुए और जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है , हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल ने सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा था और विभिन्न पहलुओं लिए उचित मुआवजा राशि

प्रदान की थी जैसा कि स्वीकार्य है। इसलिए , उच्च न्यायालय ट्रिब्यूनल के उक्त निष्कर्ष को परेशान नहीं करने के लिए उचित था। हम उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। तदनुसार, मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। (2004) 3 एससीसी 297 22018) 5 एससीसी 656 32018 (9) स्केल 310 4 (2017) 4 एससीसी 796 शिवराज बनाम राजेंद्र और एएनआर। [ए एम खानविलकर, जे।

12. हम रिकॉर्ड पर रख सकते हैं कि अपीलकर्ता ने हमें यह विचार करने के लिए राजी करने का असफल प्रयास किया कि स्थायी विकलांगता को पूरे शरीर के लिए 67% माना जाना चाहिए। हालांकि, अपीलकर्ता का इलाज करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य और मेडिकल रिकॉर्ड को देखने के बाद , हम पाते हैं कि ट्रिब्यूनल द्वारा पूरे शरीर के लिए 60% पर स्थायी विकलांगता की सीमा के बारे में किया गया मूल्यांकन एक संभावित दृष्टिकोण प्रतीत होता है। हम उक्त निष्कर्ष को बाधित करने के इच्छुक नहीं हैं और इसलिए भी कि तथ्य की समवर्ती खोज होने के नाते उच्च न्यायालय द्वारा इसकी उचित पुष्टि की गई है। तदनुसार, मुआवजा राशि में वृद्धि के लिए अपीलकर्ता का दावा हस्तक्षेप के योग्य नहीं है।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए , अपील को आंशिक रूप से प्रतिवादी नंबर 2 (ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) को ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को पुष्टि की गई मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की सीमा तक अनुमति दी जाती है और कानून के अनुसार उल्लंघन करने वाले ट्रैक्टर (प्रतिवादी नंबर 1) के मालिक से इसकी वसूली करने की स्वतंत्रता होती है।

14. अपीलों का निपटान उपर्युक्त शर्तों में किया जाता है , जिसमें वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होता है। तदनुसार अपीलें निस्तारित।

(Brijesh Kumar Yadav)
J.O. Code-U.P. 1605
Addtional District Judge, Fast Track Court-I,
Bareilly.

Digitally signed by Brijesh Kumar Yadav
Date: 2023.10.28 14:05:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court